न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 67 / 2024 (उदयपुर डिक्की)

1. डूंगा पिता हेमा जी डांगी, निवासी खेड़ा कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. धर्मा पिता हेमा जी डांगी, निवासी खेड़ा कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. डूंगा पिता हेमा जी डांगी, निवासी खेड़ा कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. चेनराम पिता वजा जी डांगी, निवासी खेड़ा कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. बाबूलाल पिता लोगर जी डांगी, निवासी खेड़ा कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. मोहन पिता नारायण जी डांगी, निवासी खेड़ा कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. पूरा पिता देवा जी डांगी, निवासी खेड़ा कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. नाना पिता देवा जी डांगी, निवासी खेड़ा कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. भेरूलाल पिता हीरा जी डांगी, निवासी खेड़ा कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. दोला पिता हीरा जी डांगी, निवासी खेड़ा कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. भंवरलाल पिता हीरा जी डांगी, निवासी खेड़ा कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. परथा पिता ऊंकार जी डांगी, निवासी खेड़ा कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
9. ऊंकार पिता धूला जी डांगी, निवासी खेड़ा कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
10. नेजीराम पिता हीरा जी डांगी, निवासी खेड़ा कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
11. गणेश पिता हीरा जी डांगी, निवासी खेड़ा कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
12. चम्पालाल पिता हीरा जी डांगी, निवासी खेड़ा कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 15:58:00 IST
Reason: SelfAttested

13. गंगाराम पिता हीरा जी डांगी, निवासी खेड़ा कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अ॰–1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा दिनांक
24.02.2021 प्रकरण सं0 82/2019

———/———

उपस्थित :– 1. श्री दिलीप कुमार सुथार अभिभाषक अपीलान्टगण

———::———

निर्णय दिनांक 06–03–2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की परिशिष्ट ''क'' की आराजी नंबर 1243, 1244, 1245, 1276 किता 4 रकबा 0.5400 हैक्टर एवं परिशिष्ट ''ख'' की आराजी नंबर 2285, 2286, 2450 से 2452 2470, 2471, 3956 से 3961, 3998 से 4000 व 2448 कुल किता 17 रकबा 1.0950 हैक्टर भूमि ग्राम खेडा कानपुर तहसील गिर्वा में स्थित है, जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा होकर मौके पर इसी अनुसार काबिज हैं। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर वादीगण व प्रतिवादीगण के मूल पुरूष नंगा जी थे, जिनके दो पुत्र नन्दा व हरजी हुए। नन्दा के तीन पुत्र धुला, काना व देवा थे, जिसमें से धुला फोत होकर उसका पुत्र उंकार है, जो प्रतिवादी संख्या 9 है। इसी तरह काना भी फोत हो चुका है तथा काना का पुत्र हीरा भी फोत हो चुका है। हीरा के पुत्र नोजीराम, गणेश, चम्पालाल, गंगाराम हैं, जो प्रतिवादी संख्या 10 से 13 हैं। इसी तरह देवा फोत हो चुका है, जिसके चार पुत्र उंकार, नारायण, पुरा व नाना है, जिसमें से उंकार फोत हो चुका है, जिसका पुत्र परथा प्रतिवादी संख्या 8 व हीरा है। हीरा भी फोत हो चुका है, जिसके पुत्र भैरूलाल, दोला व भंवरलाल हैं, जो प्रतिवादी संख्या 5 से 7 हैं। इसी तरह नारायण भी फोत हो चुका है, जिसके पुत्र लोगर व मोहन हैं, जिसमें से लोगर फोत हो चुका है, लोकर का पुत्र बाबूलाल प्रतिवादी संख्या 1 है एवं मोहन प्रतिवादी संख्या 2 है तथा पूरा व नाना जीवित होकर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 हैं। इसी तरह नंगा जी के पुत्र हरजी के तीन पुत्र हेमा, पूरा व वजा [illegible] फोत हो चुका है, हेमा के दो

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 15:58:00 IST
Reason: SelfAttested

लड़के डूंगा व पूरा हैं, जो वादी संख्या 1 व 2 हैं। इसी तरह पूरा लाऔलाद फोत हो चुका है। पूरा की जायदाद को पूरा ने डूंगा पिता हेमा को वसीयत कर दी है, जो वादी संख्या 3 है। वादी संख्या 1 व 3 एक ही व्यक्ति हैं। इसी तरह वजा भी फोत हो चुका है, जिसका लड़का चेनराम वादी संख्या 4 है। उक्त परिशिष्ट ''क'' व ''ख'' में वर्णित वादग्रस्त भूमि नंगा जी की होकर उनके दो पुत्र नन्दा व हरजी बराबर–बराबर 1/2, 1/2 हिस्सेदार हैं। इसी तरह नन्दा जी के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 13 का उक्त आराजियात में 1/2 हिस्सा है तथा हरजी के वारिसा वादीगण का 1/2 हिस्सा है। जमाबन्दी संवत् 2042 में इसी अनुसार हिस्सा दर्ज है, किन्तु बाद की जमाबन्दियों में वादीगण का 1/4 हिस्सा दर्ज कर प्रतिवादी संख्या 1 से 13 का 3/4 हिस्सा दर्ज कर दिया गया है, जिससे वादीगण के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात में वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किये जाने पर प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया एवं प्रतिदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद वर्णित भूमि के अतिरिक्त भी नंगा जी के खाते की आराजियात हैं, जिनका विवरण प्रतिवादीगण द्वारा बिन्दु संख्या ''अ'', ''ब'' व ''स'' में निम्नानुसार किया जा रहा है :–

(अ) खाता संख्या 230 की आराजी नंबर 1247 से 1251 कुल किता 6 रकबा 0.3350 हैक्टर भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण का बराबर बराबर हक व हिस्सा अंकित है। इसी प्रकार खाता संख्या 309 में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम 1/3 हिस्सा संयुक्त रूप से दर्ज है। उक्त दोनों खातों में भूमि बराबर दर्ज है।

(ब) खाता संख्या 261 में अंकित आराजी नंबर 1238, 1239, 2433, 2434, 2449, 2454, 2894 से 2899, 2917 व 2922 कुल किता 14 रकबा 0.9950 हैक्टर भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है।

(स) खाता संख्या 162 में अंकित आराजी नंबर 1240 व 1242 कुल किता 2 रकबा 0.1600 हैक्टर, खाता संख्या 105 में अंकित आराजी नंबर 2868, 2869 कुल किता 2 रकबा 0.1400 हैक्टर एवं खाता संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 15:58:00 IST
Reason: SelfAttested

106 में अंकित आराजी नंबर 2468, 2469, 2865 से 2867, 2876, 2877, 2934 से 2937 व 13809/247 कुल किता 13 रकबा 0.9500 हैक्टर भूमि वादीगण के नाम दर्ज है।

उक्त समस्त भूमि का समवेश रूप से योग कर तुलनात्मक अध्ययन करने पर बिन्दु संख्या ''अ'' में अंकित भूमि बराबर–बराबर दर्ज है, जबकि बिन्दु संख्या ''स'' में वादीगण के नाम अंकित कुलिया 1.2200 हैक्टर भूमि, बिन्दु संख्या ''ब'' में प्रतिवादीगण के नाम अंकित कुलिया 0.9950 हैक्टर भूमि के मुकाबले 0.2250 हैक्टर भूमि अधिक अंकित है, जिसके प्रतिवादीगण हकदार हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य संतुलन बनाये रखने के लिए परस्पर समझ से हिस्सा विभाजन करते हुए वाद में उल्लेखित प्रकार से वादग्रस्त आराजियात का कुल किता 21 रकबा 1.6350 हैक्टर भूमि में हक व हिस्सा दर्ज किया गया है, जिसको काफी अर्सा हो गया है। उक्त सभी कार्यवाही सेटलमेन्ट के दौरान हुई थी। वादीगण द्वारा अपने वाद में उक्त तथ्यों का उल्लेख नहीं कर आधे अधूरे तथ्य रखकर अनुचित लाभ लेने की गरज से वाद प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा वादीगण द्वारा वाद में परिवार के सजरे में उनकी शाखा के वारिसान को छुपाया गया है, जिससे शेष वारिसान को भी संयुक्त करते हुए वाद में कार्यवाही की जावे। अतः प्रतिवादीगण का प्रतिदावा स्वीकार कर खाता संख्या 261 में अंकित आराजी नंबर 1238, 1239, 2433, 2434, 2449, 2454, 2894 से 2899, 2917 व 2922 कुल किता 14 रकबा 0.9950 हैक्टर भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 162 में अंकित आराजी नंबर 1240 व 1242 कुल किता 2 रकबा 0.1600 हैक्टर, खाता संख्या 105 में अंकित आराजी नंबर 2868, 2869 कुल किता 2 रकबा 0.1100 हैक्टर एवं खाता संख्या 106 में अंकित आराजी नंबर 2468, 2469, 2865 से 2867, 2876, 2877, 2934 से 2937 व 13809/247 कुल किता 13 रकबा 0.9500 हैक्टर भूमि वादीगण के नाम दर्ज है। उक्त सम्पूर्ण भूमि को भी वाद वर्णित भूमि कुल किता 21 रकबा 1.6350 हैक्टर में सम्मिलित करते हुए वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादीगण के प्रतिदावे का वादीगण द्वारा जवाबुल जवाब प्रस्तुत किया गया प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब की कलम संख्या ''स'' में खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 15:58:00 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 162 में अंकित आराजी नंबर 1240 व 1242 कुल किता 2 रकबा 0.1600 हैक्टर, खाता संख्या 105 में अंकित आराजी नंबर 2868, 2869 कुल किता 2 रकबा 0.1100 हैक्टर वादीगण की स्वअर्जित भूमि है, जिसमें प्रतिवादीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं है। अतः प्रतिवादीगण का प्रतिदावा निरस्त किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर 4 तनकियां कायम की एवं तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 24–02–2021 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा न्यायालय हाजा में अपील संख्या 33/2021 प्रस्तुत की गयी जो न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 16–04–2024 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दी गयी, जिसे अपीलान्टगण के आवेदन पर पुनः नंबर पर लिया जाकर अभिभाषक अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि प्रतिवादीगण द्वारा अपने काण्उटर क्लेम में वादीगण के सजरे को स्वीकार किया गया है। वाद वर्णित आराजियात पूर्व में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम 1/2, 1/2 हिस्से अनुसार दर्ज थी, किन्तु बाद में बिना किसी आधार के वादीगण के नाम 1/4 व प्रतिवादीगण के नाम 3/4 हिस्सा दर्ज कर दिया गया, जो गलत है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण के ओर से सुसंगत दस्तावेज पेश नहीं किये जा सके, जिसे अब आदेश 41 नियम 27 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश किये जा रहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्टगण का वाद डिक्री योग्य था। जमाबन्दी में शेयर नहीं लिखा है, जबकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मूल पुरूष एक ही व्यक्ति नंगा जी थे, जिनके दो पुत्र नन्दा व हरजी थे, जिससे नन्दा व हरजी प्रत्येक का 1/2, 1/2 हिस्सा था। नन्दा जी के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 13 होकर उनका 1/2 हिस्सा तथा हरजी के वारिस वादीगण होकर उनका 1/2 हिस्सा है, किन्तु राजस्व अभिलेखों में वादीगण का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण के नाम 3/4 हिस्सा अंकित दर्ज कर दिया गया है, जो गलत है। काउण्टर क्लेम को साबित कराने का भार प्रतिवादीगण पर था, जिसे प्रतिवादीगण द्वारा साबित नहीं कराया गया है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्[illegible] कर अधीनस्थ न्यायालय के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 15:58:00 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा अपीलान्टगण को विवादित आराजियात के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलान्टगण व प्रतिवादीगण के मूल पुरूष एक ही होकर नंगा जी थे तथा यह भी स्पष्ट है कि नंगा जी के दो पुत्र नन्दा व हरजी थे, जिससे नन्दा व हरजी प्रत्येक का 1/2, 1/2 हिस्सा था। नन्दा जी के वारिस रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण तथा हरजी के वारिस अपीलान्ट/वादीगण है, जिससे विवादित आराजियात में दोनों पक्षों के नाम 1/2, 1/2 हिस्सा अनुसार भूमि दर्ज होनी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय ने हालांकि तनकीवार विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है, किन्तु जमाबन्दी संवत् 2042 में हिस्से का अंकन अलग–अलग नहीं होने के आधार पर वादीगण का वाद खारिज किया है, जबकि हमारे सम्मुख अपीलान्टगण द्वारा आदेश 41 नियम 27 के साथ जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, वह प्रकरण के निस्तारण हेतु सुसंगत दस्तावेज होकर उन्हें रेकार्ड पर लिया जाकर तथा उनका परीक्षण कर साक्ष्यों के आधार पर पुनः निर्णय किया जाना हम उचित समझते हैं। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 24–02–2021 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये विवेचन अनुसार वादीगण के वाद एवं प्रतिवादीगण के काउण्टर क्लेम पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर साक्ष्य सबूतों के आधार पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 05–05–2025 को उपस्थित रहें। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 06–03–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 15:58:00 IST
Reason: SelfAttested